ालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

ख्या 125 / 2017 निर्णय दिनांक :–22.2.2021

प्रार्थना पत्र :

रामसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति मीणा उर्म 60 वर्ष निवासी दाता ढाणी (सांवतगढ) तहसील देवली जिला–टोंक राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. तहसीलदार तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. छीतरलाल पुत्र श्री प्रेमा उर्फ प्रेमसिंह जाति मीणा उर्म बालिग निवासी दाता ढाणी (सांवतगढ) तहसील देवली जिला–टोंक राज0
3. मोहन पुत्र श्री प्रेमा उर्फ प्रेमसिंह जाति मीणा उर्म बालिग निवासी दाता ढाणी (सांवतगढ) तहसील देवली जिला–टोंक राज0
4. सोहन पुत्र श्री प्रेमा उर्फ प्रेमसिंह जाति मीणा उर्म बालिग निवासी दाता ढाणी (सांवतगढ) तहसील देवली जिला–टोंक राज0
5. शक्ति सिंह पुत्र केसरलाल जाति मीणा उर्म बालिग निवासी दाता ढाणी (सांवतगढ) तहसील देवली जिला–टोंक राज0
6. नीरज जाति मीणा उर्म बालिग निवासी दाता ढाणी (सांवतगढ) तहसील देवली जिला–टोंक राज0
7. कैलाशी देवी जाति मीणा उर्म बालिग निवासी दाता ढाणी (सांवतगढ) तहसील देवली जिला–टोंक राज0

– अप्रार्थी –

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज
धारा 136, लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 2ता 7 के सयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 79 खसरा नम्बर 608 रकबा 1.07 है0, खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1193 रकबा 0.51 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 है0 वाके तन

ाम दाता पटवार हल्का सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। ार्थीगण उक्त वर्णित संयुक्त भूमि में स्थित है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी नं.2 की सयुक्त खातेदारी की भूमि हाल खाता संख्या 359 खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 1153 रकबा 035 है0, खसरा नम्बर 1155 रकबा 0.65 है0, खसरा नम्बर 1468 रकबा 0.40 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.17 है0, वाके तन ग्राम दाता पटवार हल्का सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी नं. 1 व प्रार्थी नं. 1 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में नारायण पुंत्र प्रेमा, रामानारायण पुत्र प्रेमाराम इन्द्राज हैं जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी नं. 1 का वास्तविक नाम रामसिंह है तथा प्रार्थी नं. 1 के पिता का नाम प्रेमसिंह है। प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, में भी प्रार्थी नं. 1 का नाम रामसिंह व पिता का प्रेमसिंह ही दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उक्त आराजीयात में प्रार्थी नं. 1 का नाम रामसिंह के स्थान नारायण व रामनारायण एवं प्रार्थी नं. के पिता का नाम रामसिंह के स्थान पर प्रेमा व प्रेमाराम दर्ज कर दिया है जो कि गलत है। प्रार्थी नं. 1 का नाम नारायण, रामनारायण के स्थान पर रामसिंह व प्रार्थी के पिता का नाम प्रेमा व प्रेमाराम के स्थान पर प्रेमसिंह इन्द्राज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। नारायण पुत्र प्रेमा व रामनारायण पुत्र प्रेमाराम के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मे नही हैं। ग्राम पंचायत सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया है, उसमें भी प्रार्थी नं. 1 का नाम रामसिंह तथा प्रार्थी के पिता का नाम प्रेमसिंह है। अप्रार्थीगण नं. 2 ता 7 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सहखातेदार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की सहखातेदार भूरी व केसर पुत्रिया प्रेमा उर्फ प्रेमसिंह की मृत्यु हो जाने से उन्हे प्रार्थना पत्र पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2, 6 ता 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 5 को अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पर डिलिट किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 की ओर इकबालिया जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार है :–प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण का सगा भाई है जिसके पिता का नाम प्रेमसिंह है। राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता का नाम गलत इन्द्राज हो रखा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थी द्वारा चाही गयी प्रार्थना स्वीकार है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे नारायण व रामनारायण एवं प्रार्थी के पिता का नाम प्रेमा व प्रेमाराम दुरूस्त कर प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र प्रेमसिंह दर्ज कर दिया जावे इसमे अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में नारायण व रामनारायण एवं प्रार्थी के पिता का नाम प्रेमाराम दुरूस्त कर प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र प्रेमसिंह दर्ज कर दिया जावे इसमे अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पेश किया जो इस प्रकार है:– बिन्दु नं. 1 :– चरण प्रथम स्वीकार नही है। वाद मं वर्णित आराजी रामसिंह पुत्र प्रेमसिंह के नाम दर्ज नही होकर छितरलाल, नारायण, मोहन, सोहन पुत्र भूरी, केसर, नूरका पुत्रिया प्रेमा व छितरसिंह, रामनारायण पुत्र प्रेमाराम के नाम दर्ज है। बिन्दु स्वीकार नहीं है। बिन्दु नं. 2 :– चरण द्वितीय मे राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम सही है। सही नाम के साक्ष्य या सबूत (राजस्व रिकार्ड) स्वंय सिद्ध करें। चरण स्वीकार नहीं है। बिन्दु नं. 1 :– चरण तृतीय प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम नियमानुसार हुआ जो सही है। प्रार्थी सही नाम के राजस्व रिकार्ड स्वंय सिद्ध करें। चरण स्वीकार नही है। बिन्दु नं. 1 :– चरण चतुर्थ स्वीकार नही है। बिन्दु नं. 1 :– चरण पंचम आंशिक स्वीकार है। प्रार्थी विरासत के नाम0 की प्रति स्वंम सिद्ध करें। बिन्दु नं. 1 :– चरण षष्ठ लगायत न्यायालय से सम्बन्धित है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में ठोस साक्ष्य पेश करने पर ही न्यायोचित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीग का नाम रामसिंह है। प्रार्थी को गांव में राम के आगे नारायण लगाकर रामनाराण और कुछ लोग नारायण पुकारने लगे जिसके कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामयनाराण व नारायण हो गया । इसी प्रकार प्रार्थी के पिता का नाम प्रेम सिंह है जिसकी जगह लोग प्रेमा व प्रेमा राम पुकारने लग गये। इसी कारण से प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गांव वालो से पूछ कर प्रेमा व प्रेमाराम कर दिया। उक्त त्रुटियों की वजह से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया । जमाबन्दी सम्वत 2069–72 वाके ग्राम दांता में प्रार्थी का नाम नारायण व रामनारायण व प्रार्थी के पिता का नाम प्रेमा व प्रेमाराम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अन्य सरकारी दस्तावेज ग्राम पंचायत सांवतगढ का प्रमाण पत्र दिनांक 06.09.16, आधार कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रामसिंह व प्रार्थी के पिता का नाम प्रेम सिंह अंकित है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र बाबत कोई विशेष आपति पेश नहीं की है। अतः तहसीलदार देवली को राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम दांता पटवार हल्का सांवतगढ की जमाबन्दी संम्वत 2071–74 के खाता संख्या 79 के ख. नं. 608, 1022, 1193 व खाता संख्या 359 के ख. नं. 1151, 1152, 1153, 1155, 1468 व खाता संख्या 379 के ख. नं. 1531/1469 में नारायण/रामनारायण पुत्र प्रेमा/प्रेमाराम के स्थान पर रामसिंह पुत्र प्रेम सिंह दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली